न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

मिसल नं0:– 3/19 | निर्णय दिनांक: 29.11.19

अनवानः– स्टेट जरिये प0ह0 किलचु देवडान बनाम भैराराम पुत्र श्री पोकरराम जाति कुम्हार निवासी सुरधना चौहानान

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का किलचु देवडान ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत् 2076 में गैर सायल भैराराम पुत्र श्री पोकरराम जाति कुम्हार निवासी सुरधना चौहानान ने ग्राम सुरधना चौहानान के खसरा सं0 250 के तादादी 0.65 हैक्टेयर क्षेत्रफल में नाजायज रूप से काश्त कर राजकीय गैर मुमकिन ओरण भूमि पर अतिक्रमण किया है। संबंधित गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया एवं नियमानुसार तामिल कराया गया। गैर सायल की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें गैरसायल ने अवगत कराया कि उसके द्वारा जानकारी के अभाव में अतिक्रमण हो सकता है तथा उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने पर यदि भूमि राजकीय है तो गैरसायल उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने का तैयार हैं। चुंकि राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त भूमि स्पष्टतया गै0मु0 गोचर भूमि है।

गैर सायल भैराराम पुत्र श्री पोकरराम जाति कुम्हार निवासी सुरधना चौहानान द्वारा सुरधना चौहानान के खसरा सं0 250 के तादादी 0.65 हैक्टेयर क्षेत्रफल में नाजायज अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा–91 के प्रावधानों के अनुसार भैराराम पुत्र श्री पोकरराम जाति कुम्हार निवासी सुरधना चौहानान को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं 0.65 हैक्टेयर पर भू–राजस्व की रकम रू0 0.9425 का 50 गुणा कुल राशि 48 (अडतालिस) रू0 का तावान आरोपित किया जाता है । उक्त अतिक्रमण को हटाने, अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने, फसल कुर्क व नीलामी हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त देशनोक तथा पटवारी प0ह0 किलचु देवडान को आदेश दिया जाता है। अतिक्रमी को राजकीय गै0मु0 गोचर भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत् पटवारी हल्का एवं मांग कायमी के लिये टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।

नायब तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर

Scanned by CamScanner